न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, अरांई

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा रावतारण (आरएएस)

प्रार्थना पत्र क्रमांक 26/2010

विश्राम पुत्र करणा जाति जाट उम्र 30 साल निवासी ग्राम चुरली तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

– प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान – अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री ध्रुव सिंह दिनांक :– 17.06.2025

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ध्रुव सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 04.01.2002 को राजस्व कैम्प पाटन में आवंटन कमेटी की सिफारिश के आधार पर उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा प्रार्थी विश्राम पुत्र करणा जाति जाट निवासी ग्राम चुरली को ग्राम चुरली स्थित सिवायचक भूमि खसरा संख्या 88 रकबा 08 बीघा किस्म गै.मु. काकरिया का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। आवंटन फार्म के पेज संख्या 02 के क्रम संख्या 03 के कालम संख्या 05 में रकबा जो चाहा गया है वह 08 बीघा अंकित है, तस्दीक पटवारी आवंटन फार्म के पेज संख्या 03 कालम संख्या 14 में रकबा 08 बीघा अंकित है उसे बाद में काटकर 05 बीघा किया गया है तथा आवंटन कमेटी की सिफारिश खसरा संख्या 88 रकबा 08 बीघा किस्म गै.मु. काकरिया की गई है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ अजमेर द्वारा पटवार हल्का पाटन को दिनांक 23.01.2002 को आवंटन/नियमित की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने कब्जे संमलाने के आदेश जारी किये गये थे उस पत्र की सूची दिनांक 04.01.2002 ग्राम चुरली में भी क्रम संख्या 08 पर प्रार्थी को 88 रकबा 08 बीघा भूमि की लगान 2.43 का अंकन है। पटवार हल्का पाटन द्वारा नामान्तरण संख्या 211 दिनांक 02.02.2002 को ग्राम चुरली का भरकर तस्दीक कराया गया उसमें भी खसरा संख्या 88 रकबा 08 बीघा का अंकन किया गया किन्तु बाद में उसे काटकर 05 बीघा का अंकन कर दिया गया है, नक्शा ट्रेस में भी 08 बीघा की तरमीम की गई है। मंगला पुत्र श्योजी जाति जाट द्वारा उक्त आंवटन को निरस्त करवाने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे दिनांक 02.07.2007 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रार्थी के पास दिनांक 21.08.2003 को पटवारी द्वारा जारी जामबन्दी की नकल है जिसमें रकबा 08 बीघा का अंकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.02.2010 को जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 तथा दिनांक 17.02.2010 को जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 की नकल एवं नामान्तरण संख्या 211 दिनांक 02.02.2001 की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी की गई है। अतः प्रार्थी की श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी को ग्राम चुरली की आराजी खसरा संख्या 88/2 रकबा 05 बीघा राजस्व रिकार्ड में में जो वर्तमान में 05 बीघा कर रखा है उसे खसरा संख्या 88/2 रकबा 08 बीघा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2010 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी करवाई गई। दिनांक 04.08.2015 को पटवार हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई। दिनांक 07.03.2025 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा मौका रिपौर्ट एवं जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चुरली के खसरा संख्या 465/391 वर्तमान में सिवायचक भूमि दर्ज है। मूल खसरा संख्या 88 रकबा 1.6180 हैक्टेयर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मेला मैदान दर्ज है। खसरा संख्या 394/88 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म गै.मु. श्मशान दर्ज है। खसरा संख्या 464/391 रकबा 0.1326 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आबादी दर्ज है। खसरा संख्या 392/88 रकबा 0.8090 हैक्टेयर गै.मु. कंकरीली विश्राम पुत्र करणा जाति जाट सा. गैर खातेदार के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 393/88 रकबा 0.3226 हैक्टेयर किस्म गै.मु. कंकरीली लक्ष्मण पुत्र श्योराम जाति जाट के सा. गैर खातेदार दर्ज है। गैर खातेदारी खसरा संख्या 392/88 एवं 393/88 की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं है। खसरा संख्या 394/88 मौके पर विभिन्न समाजों के श्मशान भूमि के रूप में काम में आ

ही है। खसरा संख्या 88 रकबा 1.6180 हैक्टेयर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मेला मैदान में मौके पर करणी माता का मन्दिर बना हुआ है।

दिनांक 27.05.2025 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया एवं पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि वादअधीन भूमि वर्तमान में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ ही है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाने की कृपा करें।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। प्रार्थी को दिनांक 04.01.2002 को उक्त आवंटन की सिफारिश की गई थी जिसमें प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी को 08 बीघा के स्थान पर 05 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई किन्तु प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.01.2002 के बाद दिनांक 10.03.2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज. अधि. के तहत पेश किया गया है जो कि लगभग 08 वर्षों के बाद पेश किया गया है जिसमें विलम्बर का कोई ठोस एवं न्यायसंगत स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। तहसीलदार किशनगढ द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि वादअधीन भूमि वर्तमान में कृषि कार्य में उपयोग में नहीं आकर अन्य कार्यों यथा आबादी भूमि, मेला मैदान भूमि एवं श्मशान के रूप में काम में आ रही है। प्रार्थी द्वारा वादअधीन भूमि अन्य कब्जाधारी एवं हित अधिकार रखने वाले कृषकों को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं धारा 136 भू.राज.अधि. के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है जिसमें वांछित अनुतोष न्यायालय हाजा द्वारा दिया जाना संभव नहीं है। अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)